

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY HARI NAGAR SPORTS COMPLEX BERI WALA BAGH, HARI NAGAR, NEW DELHI-110064

SP/HNSC/0012/2023/F5/-HNSC/280

Dated: 04/12/2025

AUCTION NOTICE NO. O /HNSC/DDA/2025-26

The auction of Unserviceable Civil, Electrical and Horticulture items & Waste/Scrapped Materials at Hari Nagar Sports Complex will be held on as is where basis is on date, time and place shown below. The details of the materials can be inspected at the auction site during office hours on any working day, prior to the date of auction, between 12.00 AM to 04.00 PM at Hari Nagar Sports Complex, Beri Wala Bagh, Hari Nagar, New Delhi-110064.

Before start of bid each bidder is required to deposit Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand Only) as earnest money in the form of Pay Order/ Demand Draft of any schedule Bank approved by R. B. I drawn in favour of "CAU SPORTS DDA" to be submitted in Accounts Branch in Hari Nagar Sports Complex which will be refundable after the auction is completed except for the highest bidder who will have to deposit 25% (Pay Order/ Demand Draft) of the offered amount after adjusting earnest money of Rs. 10,000/- as precaution money. Balance amount of 75% (including on 100% of the total offered amount) shall be deposited through Bank Pay Order/Demand Draft in favour of "CAU SPORTS DDA" within 20 days from the date of issue of demand/acceptance letter or any extension thereof. In case the amount is not deposited within the stipulated period the entire precaution money (25% of the offered amount) deposited by the bidder shall be forfeited absolutely and no claim on this account will be raised by in any forum or court. The bidder shall be informed accordingly.

The Commissioner (Sports), DDA reserves the right to reject any bidder without assigning any reason whatsoever.

Venue of Auction: Hari Nagar Sports Complex, Beri Wala Bagh, Hari Nagar, New Delhi- 110064

30th Dec 2025 at 12:00 PM Date & Time

Rs. 2,00,270/-**Reserve Price**

Rs. 10,000/-**EMD**

Terms & Conditions:

- 1. No T&P shall be issued by the Department.
- 2. Bidder should have a valid GST registration.
- 3. The agency will be responsible if any loss/damage/injury/mishappening caused during the time period of work and removalof item.
- 4. The agency will lift the items as per orders/instructions of Secretary/HNSC and RE/HNSC.
- 5. Validity of the Bid shall be 30 days from the date of Auction.
- 6. For any lapse on the part of the agency, the decision of the Commissioner (Sports) shall be final and binding upon the bidder and shall not be called in any question before any forum.
- 7. The agency/contractor will be liable for any Tax liability.
- 8. The GST as applicable shall be charged extra.
- 9. Time allowed for lifting the materials shall be 30 days.

- 10. In case the material is not lifted within the stipulated period the earnest money deposited by the highest bidder shall be forfeited.
- 11. Mode of payment will either be through Demand Draft/ Digital Payment only in f/o "CAU SPORTS DDA".

R.E/HNSC

Copy to:

- 1. Commissioner (Sports), DDA- for kind information please.
- 2. Director (Sports), DDA- for kind information please.
- 3. Director (System), DDA through email: ddatender@dda.org.in
- 4. Sr. A.O. (Sports), DDA
- 5. Auction Committee Members
- 6. Secretaries of all Sports Complexes with the request to arrange to place the auction notice on the notice board of the complexes.
- 7. AAO/HNSC
- 8. Notice Board/HNSC.

R.E/HNSC



दिल्ली विकास प्राधिकरण हरि नगर खेल परिसर बेरी वाला बाग, हरि नगर, नई दिल्ली-110064

एसपी/एचएनएससी/0012/2023/एफ5/-एचएनएससी/280

दिनांक: ०५/12/2025

नीलामी सूचना सं-0 /एचएनएससी/डीडीए/2025-26

हरि नगर खेल परिसर में अनुपयोगी सिविल, विद्युत और बागवानी वस्तुओं और अपशिष्ट/कबाइ सामग्री की नीलामी नीचे दी गई तारीख, समय और स्थान के आधार पर जैसी है वैसी ही होगी। सामग्री का ब्यौरा नीलामी की तिथि से पहले किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान नीलामी स्थल पर सुबह 12.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच हिर नगर खेल पिरसर, बेरी वाला बाग, हिर नगर, नई दिल्ली-110064 में देखा जा सकता है।

बोली शुरू होने से पहले प्रत्येक बोलीदाता को आर.बी.आई. द्वारा अनुमोदित किसी भी बैंक से आदेश/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए" के पक्ष में बयाना राशि के रूप में रु. 10,000/- (केवल दस हजार रूपये) जमा करना आवश्यक है, जिसे हिर नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लेखा शाखा में जमा किया जाना है, जो नीलामी पूरी होने के बाद वापस कर दिया जाएगा उच्चतम बोली लगाने वाले को छोड़कर जिसे 10,000/- रु. रुपये की बयाना राशि समायोजित करने के बाद प्रस्तावित राशि का 25% (पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट) जमा करना होगा एहितयात के तौर पर। शेष राशि 75% (कुल प्रस्तावित राशि का 100% सिहत) मांग/स्वीकृति पत्र या उसके किसी भी विस्तार के जारी होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए" के पक्ष में बैंक पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी। यदि निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा नहीं की जाती है तो बोलीदाता द्वारा जमा की गई संपूर्ण एहितयाती राशि (प्रस्तावित राशि का 25%) पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी और इस खाते पर किसी भी मंच या अदालत में कोई दावा नहीं किया जाएगा। बोली लगाने वाले को तदन्सार सूचित किया जाएगा।

आयुक्त (खेल), डीडीए के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोलीदाता को अस्वीकार करने का अधिकार स्रक्षित है।

नीलामी का स्थान

: हरि नगर खेल परिसर, बेरी वाला बाग, हरि नगर, नई दिल्ली- 110064

दिनांक और समय

: 30 दिसंबर 2025 दोपहर 12:00 बजे

आरक्षित मूल्य

: ₹. 2,00,270/-

ईएमडी

: रु. 10,000/-

नियम एवं शर्तै:

- 1. विभाग द्वारा कोई टीएंडपी जारी नहीं किया जाएगा।
- 2. बोली लगाने वाले के पास वैध जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए।
- 3. यदि कार्य और वस्तु को हटाने की समयाविध के दौरान कोई हानि/क्षति/चोट/दुर्घटना होती है तो एजेंसी जिम्मेदार होगी।

- 4. एजेंसी सचिव/एचएनएससी और आरई/एचएनएससी के आदेश/निर्देशों के अनुसार वस्तुओं को उठाएगी।
- 5. बोली की वैधता नीलामी की तारीख से 30 दिन तक होगी।
- 6. एजेंसी की ओर से किसी भी चूक के लिए, आयुक्त (खेल) का निर्णय अंतिम और बोली लगाने वाले के लिए बाध्यकारी होगा और किसी भी मंच के समक्ष कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।
- 7. एजेंसी/ठेकेदार किसी भी कर दायित्व के लिए उत्तरदायी होगा।
- 8. लागू जीएसटी अतिरिक्त लिया जाएगा।
- 9. सामग्री उठाने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।
- 10. यदि निर्धारित अविध के भीतर सामग्री नहीं उठाई जाती है तो उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
- 11. पेमेंट का तरीका सिर्फ़ "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए" के नाम पर डिमांड ड्राफ़ट/डिजिटल पेमेंट होगा।

आर.ई./एचएनएससी

में कॉपी:

- 1. आयुक्त (खेल), डीडीए- कृपया सूचनार्थ।
- 2. निदेशक (खेल), डीडीए- कृपया सूचनार्थ।
- 3. निदेशक (सिस्टम), डीडीए ईमेल के माध्यम से: ddatender@dda.org.in
- 4. सीनियर ए.ओ. (खेल), डीडीए
- 5. नीलामी समिति के सदस्य
- 6. सभी खेल परिसरों के सचिवों से अनुरोध है कि नीलामी की सूचना परिसरों के नोटिस बोर्ड पर लगाने की व्यवस्था करें।
- 7. एएओ/एचएनएससी
- 8. नोटिस बोर्ड/एचएनएससी।

आर.ई./एचएनएससी